वादी साक्षी क्रं.02 सेवक वर्मा पिता आनंद राम वर्मा का शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है । जो कंडिका क्रं 01 से 02 तक है । आज दिनांक 17.06.2025 को साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर अग्र परीक्षण किया जा रहा है ।

समय – 4.34 बजे– 4.48 बजे

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री संतराम साहू वास्ते प्रतिवादी क्रं. 01

3. यह कहना सही है कि इस मामले में उपस्थित होने के लिए मुझे न्यायालय से नोटिस नही मिला है । मैं बाबू लाल के पुत्र रामेश्वर के कहने पर उसके साथ न्यायालय आया हूॅ । आज से पूर्व मैं इस प्रकरण में पूर्व में उपस्थित हुआ था । यह कहना सही है कि मैं अपने शपथपूर्वक कथन को पढ़, समझकर हस्ताक्षर किया था ।

4. यह कहना सही है कि मेरे शपथपूर्वक कथन में वादी एवं प्रतिवादी के बीच विवाद की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है उसका दिन तारीख का उल्लेख अपने शपथपूर्वक कथन में नही किया है । यह कहना सही है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित स्थल पर कितनी मात्रा में पत्थर डाला गया है इसका उल्लेख अपने शपथपूर्वक कथन में नही किया है, साक्षी स्वतः कहा कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि पर 9 वर्गमीटर पर पत्थर डाला गया है । उक्त कथन मैं रामेश्वर से पूछने पर 09 वर्गमीटर में पत्थर डालने वाली बात उनके बताये अनुसार बता रहा हूॅ ।

5. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष जमीन का नाप जोख नही हुआ है । यह कहना सही है कि विवादित स्थल का रकबा खसरा नही बता सकता, साक्षी स्वतः कहता है कि रकबा 33 वर्गमीटर है। यह कहना सही है कि मेरे शपथपूर्वक कथन की कंडिका क्रं 2 में वादी प्रतिवादी के बीच विवाद के संबंध में दिन तारीख का उल्लेख मेरे द्वारा नही कराया गया है ।

6. यह कहना सही है कि मैंने वादी एवं प्रतिवादी के बीच वाद विवाद होते ना तो देखा हूॅ ना सुना हूॅ । यह कहना सही है कि वाद भूमि का कोई राजस्व रिकॉर्ड मैंने नही देखा है ।

साक्षी को पढकर सुनाया
सही होना स्वीकार किया

मेरे निर्देशन में टंकित ।

(मंजू लता सिन्हा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
जिला बलौदाबाजार –भाटापारा (छ0ग0)

(मंजू लता सिन्हा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर

MANJU LATA SINHA
Digitally signed by MANJU LATA SINHA
Date: 2025.06.24 18:19:19 +0530

वादी साक्षी क्रं.01 रामेश्वर वर्मा का शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है । जो कंडिका क्रं 01 से 06 तक है । आज दिनांक 17.06.2025 को साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर अग्र परीक्षण किया जा रहा है ।

मुख्यपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री पवन पाण्डेय वास्ते वादी

समय – 3.56 बजे– 4.29 बजे

7. मैंने अपने पक्ष समर्थन में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा प्र.पी.–1 तथा उसकी छायाप्रति प्र.पी.–1C,पुलिस चौकी लवन को प्रेषित शिकायत दिनांक 08.04.2021 की पावती प्र.पी.–2 तथा नगर पंचायत लवन के द्वारा संपत्ति कर की रसीद प्र.पी.–3 तथा उसकी छायाप्रति प्र.पी.–3 C प्रस्तुत किया हूॅ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री संतराम साहू वास्ते प्रतिवादी क्रं. 01

8. मैं नही बता सकता कि मेरे पिता वादी बाबूलाल का निधन कब हुआ है । मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वर्ष 2017–18 में मिला था । उक्त पट्टा का रकबा– 1132/316 भूमि का मिला था । मैं कक्षा 10 वी तक पढ़ा हूॅ । मैं हिन्दी पढ़ना लिखना जान लेता हूॅ ।

9. यह कहना सही है कि शासन द्वारा उपरोक्त दर्शित भूमि का मौका में कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही आज तक नही हुई है, अब साक्षी स्वतः कहता है कि विवाद होने पर शिकायत करने पर पटवारी आया था परंतु वह कब आया था मैं नही बता सकता ।

10. यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि भूमि विवाद होने पर कृषक द्वारा अपने भूमि का सीमांकन कराया जाता है । यह कहना सही है कि हम लोग के द्वारा विवादित भूमि का आज दिनांक तक सीमांकन नही कराया गया है ।

11. यह कहना सही है कि प्र.पी.– 1 के पट्टा में इंद्राज किये गये भूमि का मेरे पिताजी द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नही कराया गया है, साक्षी स्वतः कहा कि प्र.पी.–1 के पट्टे की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नही होता है । यह कहना सही है कि हमारे पिता के निधन पश्चात हम लोगो के द्वारा भी आज दिनांक तक कथित पट्टे में वर्णित भूमि को किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नही कराया गया है । यह कहना सही है कि प्र.पी.–1 के अतिरिक्त भूमि स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नही है । यह कहना भी सही है कि हमारे द्वारा कोई अन्य दस्तावेज भूमि स्वामी के संबंध में पेश नही किया गया है ।

12. उक्त विवादित भूमि लवन में वार्ड 07 में स्थित है । यह कहना सही है कि मेरे पिताजी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत की जानकारी मुझे है । यह कहना सही है कि मैं उक्त शिकायत प्र.पी.–2 के आवेदन को पढ़ लिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस में शिकायत करने पर हल्का पटवारी मौका देखने गया था ।

13. यह कहना सही है कि हल्का पटवारी मौका में किसी राजस्व अधिकारी के आदेश अनुसार नही गया था बल्कि वह मेरे बुलावे पर मौका देखने गया था । यह कहना सही है कि पटवारी मौके पर लिखा पढ़ी किया था परंतु उक्त लिखा पढ़ी कब किया था मैं नही बता सकता, साक्षी स्वतः कहता है कि पटवारी द्वारा लिखे गये कागज को मैंने प्रकरण में पेश किया है ।

14. यह कहना सही है कि मैं उक्त दस्तावेज जो पटवारी द्वारा तैयार किया गया है उसे पढ़ लिया हूॅ। यह कहना सही है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.02.2022 को विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार के नाम पर एक प्रपत्र जारी किया गया था, जिस पर इंद्राज किये गये तथ्यो की मुझे जानकारी है । उक्त दस्तावेज पर यह लिखा है कि खसरा नंबर 1132 प्रचलित आबादी में 35 वर्गमीटर का मुख्यमंत्री आबादी पट्टा क्रमांक 1403/55 प्राप्त हुआ है जिसके पूर्व में प्रेमनारायण का, पश्चिम में अवधराम का, उत्तर में अवधराम का, तथा दक्षिण में गली का सीमा लगा हुआ है ।

15. यह भी सही है कि उक्त प्रपत्र में पट्टे की भूमि पर बाबू लाल पिता बच्चू वर्मा काबिज है । उक्त भूमि पर 6x4=24 वर्गमीटर पर पक्का मकान का निर्माण हुआ है तथा शेष जगह खाली पड़ा हुआ है उक्त तथ्यो का इंद्राज हल्का पटवारी द्वारा किया गया है जो सही है । यह कहना सही है कि प्र.पी.–2 के लिखित शिकायत के आधार पर अनावेदक/प्रतिवादी क्रं 01 के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है ।

16. यह कहना सही है कि प्र.पी.–3 में प्राप्तकर्ता का नाम एवं पदनाम उल्लेखित नही है । यह कहना सही है कि रसीद प्र.पी.–3 में भूमि का रकबा, खसरा उल्लेखित नही है । यह कहना गलत है कि उक्त रसीद नगर पंचायत द्वारा जारी नही किया गया है । यह कहना गलत है कि उक्त रसीद मैंने स्वयं तैयार कर पेश किया है ।

17. यह कहना सही है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रं01 द्वारा दखल दिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज मैने प्रकरण में पेश नही किया है । यह कहना सही है कि विवादित भूमि पर मेरे पिताजी के जीवनकाल तक पिताजी काबिज थे उसके निधन होने के बाद हम लोग काबिज है, साक्षी स्वतः कहता है कि पक्का मकान में हम लोग काबिज है शेष भूमि में प्रतिवादी द्वारा पत्थर

रखा गया है । यह कहना सही है कि कथित पत्थर की मात्रा का उल्लेख वाद पत्र में नही किया गया है ना ही मैंने अपने शपथपूर्वक कथन में उक्त बात का उल्लेख किया है ।

18. यह कहना गलत है कि कथित पत्थर रखे जाने का स्थान प्रतिवादी की स्वयं की भूमि है । यह कहना गलत है कि प्रतिवादी को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ झूठा प्रकरण लाया गया है । यह कहना गलत है कि प्रतिवादी से संबंध ठीक नही होने के कारण मैं उनके खिलाफ आज झूठा कथन कर रहा हूँ ।

साक्षी को पढकर सुनाया
सही होना स्वीकार किया

मेरे निर्देशन में टंकित ।

(मंजू लता सिन्हा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
जिला बलौदाबाजार –भाटापारा (छ0ग0)

(मंजू लता सिन्हा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर

MANJU LATA SINHA
Digitally signed by MANJU LATA SINHA
Date: 2025.06.24 18:19:35 +0530